

भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र

डाकघर: केट/PO: CAT
इन्दौर/Indore - 452013

14/05/2020-जी.ए.सी/58

मार्च 21, 2022


विषय :- नोवेल कोरोनावायरस (कोविड-19) के प्रसार को रोकने के लिए निवारक उपाय के संबंध में।

उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय के परिपत्र संख्या 14/05/2020-जी.ए.सी. /17 दिनांक 13/01/2022 का संदर्भ लें।

2. मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग ने अपने पत्र दिनांक 22/02/2022 के माध्यम से सूचित किया है कि राज्य शासन द्वारा कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए पूर्व में लगाए गए समस्त प्रतिबंध समाप्त किये जाते हैं।

3. आरआरकेट के द्वारा जारी दिनांक 13/01/2022 के परिपत्र का संदर्भ ले जो नोवेल कोरोना वाइरस के प्रसार को रोकने के लिए बचाव उपायों के संबंध में था, के बिन्दू क्रमांक 2 में उल्लेखित क्वारंटाइन के संबंध सभी दिशा निर्देश तत्काल समाप्त किये जाते हैं। इसके साथ साथ यह भी सूचित किया जाता है कि सभी कर्मचारी जो दौरे/छुट्टी/अवकाश/सी-ऑफ के दौरान मुख्यालय को छोड़ रहे हैं, को मुख्यालय लौटने पर स्वास्थ्य जांच के लिए आरएमसी को रिपोर्ट करने के आवश्यकता नहीं है।

4. इसके साथ साथ यह भी सूचित किया जाता है कि कार्यालय में उपस्थित होने वाले सभी अधिकारी/कर्मचारी कोविड के उचित व्यवहार जैसे - मास्क पहनना, उचित सामाजिक दूरी बनाए रखना, सैनिटाइजर का उपयोग एवं साबुन और पानी से बार-बार हाथ धोना का सख्ती से पालन करेंगे।


24.3.22

(एस. एस. गोंडाणे)
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

मेल ऑल

प्रतिलिपि

निदेशक कार्यालय, आरआरकेट
सभी समूह निदेशक/सह निदेशक/प्रभाग/अनुभाग/लेब प्रमुख आरआरकेट
क्षेत्रीय निदेशक, आई.आर.पी. एण्ड एस. यू., आरआरकेट